

(नियम 8 देखें)  
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र  
एआरटी क्लीनिक (स्तर 1/स्तर 2) एआरटी बैंक  
(दो प्रतियों में जारी किया जायेगा)

D.N. 3992  
17-5-23

प्रमाणपत्र संख्या--MP/NARMADAPURAM/ART BANK/No-01

1. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 16 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित अधिकारी-जिला सक्षम एस्टिड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सेरोगेसी प्राधिकारी उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लीनिक को [6-5-23 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।

- (a) एआरटी क्लीनिक का नाम और पता-- APOORVA ART BANK SERVICES A UNIT  
WARD NO 01 EKATA CHOWK SHANICHARA  
NARMADAPURAM- 461001
- (b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)-- PRIVATE
- (c) सुविधा का प्रकार स्तर-1/स्तर-2--


या

निम्नलिखित एआरटी बैंक 15.05.2028 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार गतिविधियों और प्रक्रियाओं को करने के प्रयोजन हेतु

- (c) एआरटी बैंक का नाम और पता -- APOORVA ART BANK SERVICES A UNIT  
WARD NO 01 EKATA CHOWK SHANICHARA  
NARMADAPURAM- 461001

- (d) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)-- PRIVATE

2. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अधीन प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उल्लंघन का परिणाम, पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलम्बन या निरस्तिकरण होगा।
3. रजिस्ट्रीकरण की संख्या आवंटित कि गई--MP/NARMADAPURAM/ART Bank/No-01
4. केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकृत प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए--  
रजिस्ट्रीकरण के पहले प्रमाण प्रारूप की वैधता की अवधि --16.05.23 से 15.05.2028 तक

  
जिला सक्षम एस्टिड रिप्रोडक्टिव  
टेक्नोलॉजी एवं सेरोगेसी प्राधिकारी  
जिला नर्मदापुरम्

तारीख--16/05/2023  
स्थान-- नर्मदापुरम्

इस प्रमाण पत्र की एक प्रति ध्यवत्ताय के स्थान पर साहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।  
जो लागू या आवश्यक न हो उसे काट दें।